

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेन्सी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक :- एफ 3 (5) / सा.न्याय.अवि / अंकमिलान / 2021-22 / 6724

जयपुर दिनांक : 22.7.21

सहायक / उपनिदेशक / ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी
अधीक्षक, नारी निकेतन / वृद्धाश्रम / महिला सदन समस्त
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जिला एवं ब्लॉक कार्यालय समस्त

विषय:- अवशेष राशि एवं अधिक अदायगियों की वसूली को राजकोष के समुचित मदों में जमा कराने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रायः यह देखने में आया है कि विभागीय आय (अवशेष राशि एवं अधिक अदायगियों की वसूली) को निम्न गलत मदों में जमा कराया जा रहा है।

क्रम संख्या	गलत मद	टिप्पणी	सही मद
1	0250-00-102-00-00	मद ही गलत है। छात्रवृत्ति से संबन्धित आय अन्य योजनाओं की आय	0250-00-102-01-01 0250-00-102-01-02
2	0235-60-900-02-00	2235 से संबन्धित अधिक आय के प्रतिदाय के लिए है जो कि ऋणात्मक होना चाहिए	उक्त मद में प्राप्त आय का पुर्नमुल्यांकन कर सही मद का निर्धारण कर सही मद के लिए स्थानन्तरण प्रविष्टि प्रस्तुत करें
3	0250-00-900-02-00	2225 से संबन्धित अधिक आय के प्रतिदाय के लिए है जो कि ऋणात्मक होना चाहिए	उक्त मद में प्राप्त आय का पुर्नमुल्यांकन कर सही मद का निर्धारण कर सही मद के लिए स्थानन्तरण प्रविष्टि प्रस्तुत करें

अतः अवशेष राशि एवं अधिक अदायगियों की वसूली का उपरोक्तानुसार सही मदों में जमा कराया जाना सुनिश्चित करें।

(सुरेश गुप्ता)

वित्तीय सलाहकार

जयपुर दिनांक : 22.07.21

क्रमांक :- एफ 3 (5) / सा.न्याय.अवि / अंकमिलान / 2021-22 / 6725-26

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।

- कोषाधिकारी, ई-कोषागार को भेजकर लेख है कि E-Gras पर मद 0250-00-102-00-00 का विकल्प बन्द करावें।
- संयुक्त निदेशक, IT को उपरोक्तानुसार पत्र समस्त को ई-मेल व विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने वास्ते।

(हनुमान सहाय मीणा)
वरीष्ठ लेखाधिकारी